



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-08112025-267472  
CG-MH-E-08112025-267472

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4885]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 6, 2025/कार्तिक 15, 1947

No. 4885]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 6, 2025/KARTIKA 15, 1947

रेल मंत्रालय  
(पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 30 अक्टूबर, 2025

का.आ. 5040(अ).—केन्द्रीय सरकार रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008, की धारा 2 के खंड 7 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित उपखंड स्तंभ (4) में उल्लिखित जिल्लो के संबंध में गुजरात राज्य में विशेष रेलवे परियोजना के संदर्भ में “समलाया-टिम्बा गेज परिवर्तन परियोजना (53.53 किमी)” के लिए भूमि अधिग्रहण के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन, और प्रचालन के लोकप्रयोजन के लिए स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उत्त अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी के रूप में कृत्योका निर्वाहन करने के लिए मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

## सारणी

क्रमसं.	अधिकारी का नाम	सक्षम अधिकारी	उपखंड	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री बी. एस. पटेल	रेज़िडेंट एडिशनल कलेक्टर (आरएसी) वडोदरा, गुजरात	वडोदरा	वडोदरा

[फा. सं. एफ. क्रमांक ई-ऑफिसई- 376211-02]

राजेश श्रीवास्तव, मुख्य परियोजना प्रबंधक (निर्माण), II

### MINISTRY OF RAILWAYS

#### (Western Railways)

Mumbai, the 30th October, 2025

**S.O. 5040(E).**—in exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railways (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorizes the officers nominated in column (2) of the Table below as “Competent Authority” to perform the function as ARBITRATOR under the said act with effect from date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the special Railway Project of " Samlaya-Timba Gauge Conversion Project (53.53 km)" in State of the Gujarat relating to sub- Divisions mentioned in Column (4) Districts mentioned in Column (5) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railways Project.

**TABLE**

S. No.	Name of Officer	Competent Authority	Taluka	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sri B. S. Patel	Resident Additional Collector (RAC) Vadodara, Gujarat	Vadodara	Vadodara

[F. No. E-Office E-376211-02]

RAJESH. SRIVASTAV, Chief Project Manager (Construction), II